बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
115 / 2018	03 / 08 / 2018	24 / 08 / 2018

– उनवान –

1. ड्रीम डवलपर्स पंजीकृत कार्यालय सी 10 – 11 , जे0पी0 कॉलोनी सैक्टर – 4 विधाधर नगर जयपुर जिला जयपुर जरिये पार्टनर श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर पुत्र श्री रघुवीर सिंह तंवर जाति राजपुत निवासी प्लाट नम्बर सी 10 –11 , जे0पी0 कॉलोनी नया खेडा अम्बाबॉडी जयपुर जिला जयपुर।

...................वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
2. नहन्या पुत्र सूरया
3. जगदीश पुत्र सूरया
4. बाबूलाल पुत्र सूरया
5. पप्पू पुत्र सूरया

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति माली समस्त निवासी टीबावाली ढाणी ग्राम पिपलावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा – वादी

पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

दावा बाबत् सीमा घोषणा तरमीम नक्शा

–: निर्णय :–

वादी ने यह वादपत्र सीमा घोषणा तरमीम नक्शा विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस कथन के साथ पेश किया कि खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम पीपलावाला में स्थित थी। खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में विक्रयपत्र दिनांक 12 / 1 / 2011 कि पालना में नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 26 / 09 / 2012 पटवारी हल्का सायपुरा द्वारा दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 30 / 1 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 30 / 2 रकबा 2 बीघा बटा नम्बर डाल दिये गये। खसरा नम्बर 30 / 2 रकबा 2 बीघा वादी ने मैसर्स बीका इन्फ्रास्टेक्चर जरिये प्रोपराईटर जयदीपसिंह बीका पुत्र मेजर भूरसिंह आयु 42 वर्ष जाति राजपुत निवासी प्लाट नम्बर डी – 142 दूर्गापथ अम्बाबॉडी जयपुर जिला जयपुर राजस्थान से 12 / 11 / 2014 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र क्रय कि थी जिसका नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 06 / 04 / 2015 को वादी के हक में खोला गया । वादग्रस्त खसरा नम्बर 30 / 1 कि खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 के नाम दर्ज हैं । खसरा नम्बर 30 / 1 व खसरा नम्बर 30 / 2 कि तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हैं । जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30 / 2 कि

तरमीम करवाने के लिए एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार महोदय जमवारामगढ़ के कार्यालय में पेश किया था तहसीलदार महोदय ने बताया कि उक्त मामला मेरे क्षेत्राधिकार का नहीं हैं । उक्त अनुतोष उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से हि प्राप्त कर सकते हों। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 30/1 व 30/2 कि सीमाओं कि घोषणा कर तरमीम राजस्व नक्शे में किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। अतः वादी को उक्त वादपत्र पेश करना लाजिम आया हैं।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30/1 व 30/2 कि सीमाओं कि घोषणा कर राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी जावें।

वादपत्र वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03–08–2018 को प्रतिवादीगण कि तलबी कि गई । दिनांक 07/08/2018 को नोटीस तामील होकर प्राप्त हुऐ परन्तु प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी सं. 1 के यहॉ उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र पर नोटीस देकर सुनवाई कि गई तथा 21/05/2018 को पत्रावली न्यायालय हाजा में भीजवाई गई जिसके साथ दिनांक 22/12/2017 से 21/05/2018 तक कि आदेशीका व हल्को पटवारी रिर्पोट , गिदावर कि रिर्पोट, नक्शा ट्रेस , विक्रयपत्रों कि फोटोप्रति , तरमीम हेतु प्रस्तावित तरमीम का नक्शा उपलब्ध हैं।

बहस वादी सुनी गई बहस में वादी द्वारा वादपत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सीमा घोषणा डिक्री किया जावे कि वादी कि ग्राम पीपलावाला कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/2 एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/1 की तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार सीमाओं कि घोषणा की जावें । वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/2 एवं 30/1 कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कि जावे।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपलावाला कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/2 एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/1 की तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार सीमाओं कि घोषणा की जावें । वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/2 एवं 30/1 कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कि जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ़ जिला जयपुर